भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3466

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय वरिष्ठजन स्वास्थ्य देखभाल नीति (एनपीएचसीई)

3466. डॉ. रानी श्रीकुमारः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय वरिष्ठजन स्वास्थ्य देखभाल नीति (एनपीएचसीई) के लिए वर्ष-वार तमिलनाडु सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में स्थापित क्षेत्रीय जराचिकित्सा केन्द्रों (आरजीसी) का वर्ष-वार, राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार और तमिलनाडु के संदर्भ में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित होने वाले वरिष्ठ व्यक्तियों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई पहल सफल रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): तमिलनाडु सहित देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल नीति (एनपीएचसीई) के लिए वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित धनराशि का विवरण **अनुलग्नक I** में है। देश में स्थापित क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्रों (आरजीसी) का वर्षवार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और तमिलनाडु के लिए जिलावार विवरण **अनुलग्नक II** में है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान एबी पीएम-जेएवाई के तहत बुजुर्गों (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) के अस्पताल में भर्ती होने संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या **अनुलग्नक III** में संलग्न है।

भारत सरकार ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए 2010-11 में 'राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई)' शुरू किया। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू किया गया है। उप केंद्रों पर प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में स्वस्थ आयु वृद्धि के बारेमें स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण

परिवर्तन, पोषण संबंधी आवश्यकताओं, जीवन शैली और व्यवहार में बदलाव से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित होती हैं।

घर पर रहने वाले/बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा विकलांग बुजुर्गों की परिचर्या वाले परिवार स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी (एमओ) द्वारा साप्ताहिक जराचिकित्सा क्लिनिक की व्यवस्था भी की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा पुनर्वास कार्यकर्ता द्वारा सप्ताह में दो बार जराचिकित्सा क्लिनिक तथा पुनर्वास सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। पुनर्वास कार्यकर्ता द्वारा बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों के लिए घर-घर दौरा किया जाता है तथा बुजुर्गों की देखभाल के लिए परिवार के सदस्यों की काउंसलिंग की जाती है। जिला अस्पतालों में समर्पित जराचिकित्सा ओपीडी सेवाएं, 10 बिस्तरों सहित जराचिकित्सा वार्ड संबंधी जिला अस्पतालों में इन-डोर भर्ती , प्रयोगशाला जांच तथा पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सीएचसी/पीएचसी आदि द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बुजुर्ग मरीजो को जिला अस्पतालों में रेफर किया जाता है तथा गंभीर मामलों को विशिष्ट स्तर के अस्पतालों में रेफर किया जाता है।

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) के अंतर्गत राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के अनुमोदन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	37.72	1.50	30.40	17.98	9.00
2	आंध्र प्रदेश	78.20	789.90	455.06	316.50	269.00
3	अरुणाचल प्रदेश	150.00	165.40	40.00	146.60	151.60
4	असम	406.59	310.30	65.46	490.15	92.25
5	बिहार	383.49	165.77	5.67	74.72	78.46
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	365.65	95.36	512.11	387.50	487.60
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.35	0.00	27.87	2.35
	दमन और दीव	0.40				
9	दिल्ली	14.80	9.80	24.90	331.00	313.00
10	गोवा	29.80	13.34	27.30	29.30	29.30
11	गुजरात	20.10	20.20	78.05	179.35	159.35
12	हरियाणा	61.82	70.29	91.11	131.62	101.82
13	हिमाचल प्रदेश	27.09	1.50	15.94	83.00	78.00
14	जम्मू और कश्मीर	164.95	144.50	166.50	136.50	101.50
15	झारखंड	181.11	13.23	268.83	481.58	301.98
16	कर्नाटक	340.08	1,310.80	129.60	793.72	159.00
17	केरल	421.00	128.50	363.50	487.80	343.30

18	लद्दाख	0.00	0.00	53.70	24.90	17.90
19	लक्षद्वीप	1.00	12.35	11.40	8.80	8.88
20	मध्य प्रदेश	67.44	139.00	1,518.63	210.50	135.50
21	महाराष्ट्र	213.00	151.60	131.49	307.30	331.30
22	मणिपुर	299.10	114.30	135.97	67.50	67.50
23	मेघालय	14.50	86.97	200.98	198.21	89.75
24	मिजोरम	21.85	19.86	27.24	28.15	34.45
25	नागालैंड	2.26	7.99	20.40	5.03	4.13
26	ओडिशा	231.16	173.10	137.55	678.30	169.10
27	पुदुचेरी	30.85	31.30	32.40	40.07	43.89
28	पंजाब	11.00	17.60	40.40	199.50	211.50
29	राजस्थान	30.00	30.00	310.10	31.40	31.40
30	सिक्किम	4.72	17.80	19.15	13.90	13.93
31	तमिलनाडु	246.50	54.25	212.86	202.01	325.50
32	तेलंगाना	60.00	142.00	75.00	19.25	7.00
33	त्रिपुरा	11.22	0.00	93.17	55.55	65.60
34	उत्तर प्रदेश	1,166.80	731.25	1,154.73	1,047.50	1,977.98
35	उत्तराखंड	5.25	44.94	65.01	62.43	52.32
36	पश्चिम बंगाल	59.00	103.43	60.70	274.36	229.05

अनुलग्नक-II

राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) के अंतर्गत क्षेत्रीय वृद्धावस्था केंद्रों (आरजीसी) की स्थापना का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

वित्त वर्ष	**जिला/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिसमें आरजीसी को मंजूरी दी गई**
वित्त वर्ष 2010-11 और वित्त वर्ष 2011-12	1. नई दिल्ली, दिल्ली 2. वाराणसी, उत्तर प्रदेश 3. मुंबई, महाराष्ट्र 4. गुवाहाटी, असम 5. तिरुवनंतपुरम, केरल 6. चेन्नई, तमिलनाडु 7. श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर 8. जोधपुर, राजस्थान 9. गुवाहाटी, असम
वित्त वर्ष 2016-17	1. भोपाल, मध्य प्रदेश। 2. कोलकाता, पश्चिम बंगाल। 3. हैदराबाद, तेलंगाना। 4. कटक, ओडिशा. 5. लखनऊ, उत्तर प्रदेश। 6. रांची, झारखंड. 7. बेंगलुरु, कर्नाटक। 8. अगरतला, त्रिपुरा। 9. अहमदाबाद, गुजरात। 10. कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
वित्त वर्ष 2017-18	i. पटना , बिहार

अनुलग्नक-III

पिछले पांच वर्षों के दौरान एबी पीएम-जेएवाई के तहत बुजुर्ग व्यक्तियों (60 वर्ष आयु के और उससे अधिक) के अस्पताल में भर्ती होने संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	105	215	200	148	209
आंध्र प्रदेश	97,844	159,180	179,468	210,635	203,769
अरुणाचल प्रदेश	3	11	216	248	941
असम	19,212	37,843	57,900	113,374	118,732
बिहार	26,366	39,128	60,000	92,546	332,746
चंडीगढ़	964	1,521	1,708	3,412	4,795
छत्तीसगढ़	59,722	110,322	175,308	213,061	234,702
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3,587	3,478	3,667	3,109	3,978
गोवा	42	48	139	1,624	4,069
गुजरात	87,962	164,138	260,232	356,184	388,259
हरियाणा	37,294	49,443	83,408	176,394	278,621
हिमाचल प्रदेश	9,102	16,251	21,172	22,289	34,851
जम्मू और कश्मीर	19,359	73,209	124,314	140,650	138,454
झारखंड	73,104	89,605	88,373	87,587	94,135
कर्नाटक	134,230	216,128	390,661	646,305	702,539

केरल	430,689	725,640	542,215	478,951	389,614
लद्दाख	-	172	1,977	2,914	4,073
लक्षद्वीप	-	22	158	180	197
मध्य प्रदेश	60,720	116,827	186,829	193,529	278,227
महाराष्ट्र	369	674	1,083	3,356	86,337
मणिपुर	3,704	5,847	9,367	14,261	27,094
मेघालय	11,969	14,794	18,627	20,483	24,831
मिजोरम	3,351	3,324	5,768	7,224	10,073
नागालैंड	1,623	1,201	3,022	6,401	7,472
पुदुचेरी	528	2,807	6,641	11,162	13,649
पंजाब	88,661	121,737	74,064	134,880	168,756
राजस्थान	77,646	233,845	551,739	678,471	661,291
सिक्किम	331	479	1,311	1,748	2,883
तमिलनाडु	122,155	188,208	240,270	255,188	248,057
तेलंगाना	-	62,636	123,444	140,071	143,352
त्रिपुरा	7,285	11,091	19,069	26,293	37,398
उत्तर प्रदेश	62,314	106,112	180,708	398,893	652,675
उत्तराखंड	32,076	55,182	79,879	112,703	136,337

******